न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के.सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4-I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.11.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 123/2009–10 निगरानी।

1. मुन्नालाल पुत्र श्री देवसिंह कुशवाह,
2. रतिराम पुत्र श्री मौजीलाल कुशवाह,
3. भुजबलसिंह पुत्र श्री गनपतसिंह,
4. काले खॉ पुत्र श्री गुलजार खॉ,
5. हरप्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द्र,
6. सीताराम पुत्र श्री बाबूलाल,

निवासीगण ग्राम बरखेडा, पिपरई,
तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

– आवेदकगण

विरूद्ध

राजाराम पुत्र श्री कोमलसिंह,
निवासी ग्राम बरखेडा, पिपरई,
तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

–– अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक अनावेदक

!! आदेश !!

(आज दिनांक 3../12/2015)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 123/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2014 के विरूद्ध .मध्य प्रदेश, भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय मुंगावली द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 80/2001–02/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2002 के द्वारा ग्राम बरखेडा, पिपरई की भूमि का बंटन किया गया। इस कार्यवाही के विरूद्ध मुन्नालाल आदि द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुँगावली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 19.12.2003 द्वारा स्वीकार की गयी। इसके विरूद्ध राजाराम द्वारा निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। जो आदेश दिनांक 27.04.2007 से कलेक्टर, जिला अशोकनगर को सुनवाई हेतु प्रेषित की गयी। तत्पश्चात कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 18.12.2009 से अस्वीकार की गयी। इसके बाद राजाराम द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 123/2009–10 प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 29.11.2014 से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, मुगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2003 निरस्त किया गया तथा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2002 पुर्नस्थापित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण राजस्व मण्डल में समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3– प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपने मौखिक तर्को में यह बताया है कि अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि का आबंटन विधिवत प्रक्रिया का पालन न करते हुए तथा पात्रता की विधिवत जॉच किये बिना कर दिया गया है। अनावेदक भूमिहीन नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता है। अनावेदक के परिवार में 4.240 हैक्टेयर भूमि पूर्व से है।

इसलिए उसे भूमि आबंटन में प्राप्त करने की अधिकारिता ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। अन्त में यह निवेदन किया कि उसकी ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, तहसील न्यायालय, मुंगावली द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जायें एवं कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2009 स्थिर रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

4— अनावेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि उपरोक्त भूमि का आबंटन तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से किया गया है। अनावेदक के परिवार में भूमि रकवा 4.240 हैक्टेयर है। यह भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, ऐसी स्थिति में यदि उपरोक्त भूमि का विभाजन किया जाता है तो अनावेदक के हिस्से में जो भूमि प्राप्त होगी। उसका रकवा अत्यधिक कम होगा, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा परिवार की पात्रता की जॉच करने के पश्चात् भूमि का आबंटन किया है, जो अपने स्थान पर सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह विधिवत एवं सही नहीं होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5— प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा किये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया। विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक के हित में भूमि का आबंटन किया गया है। इसमें अनावेदक की पात्रता की विधिवत जॉच नहीं की गयी है। अनावेदक के परिवार में ग्राम अमरचार, बरखेडा काछी, कुकरिया में रकवा 4.240 हैक्टेयर भूमि धारित है। इसके बाद भी तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक के हित में भूमि का आबंटन किया गया है। जो उचित नहीं होने से निरस्त किंया जाता है। विवादित भूमि गॉव के निस्तार की भूमि है तथा गऊठान है। भूमि के पास नाला बहता है, भूमि मूंगावली रोड पर है। इसी भूमि में पंचायत भवन की बिल्डिंग बनी हुयी है। इस संबंध में ग्राम पंचायत

बरखेडा पिपरई द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 10 पारित कर पंचायत भवन की बिल्डिंग के आसपास की भूमि अन्य शासकीय बिल्डिंग के लिए सुरक्षित रखने के संबंध में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। उपरोक्त स्थिति के कारण भी भूमि का आबंटन वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिवत् एवं उचित नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2014 एवं तहसील न्यायालय, मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2002 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से अपास्त किये जाते है एवं कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2009 स्थिर रखा जाकर वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर